न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 25/2023

1. धर्मेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी सहना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. मनोज कुमार पुत्र रामस्वरूप
3. चन्द्रभान पुत्र रतनसिंह समस्त जाति जाटव निवासी सहना तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 962 बाके ग्राम सहना में स्थित है। उक्त आराजी का पुराना खसरा नम्बर 702 था तथा दौराने सैटलमेंन्ट उक्त पुराने खसरा नम्बर 702 एवं 702मिन से नये खसरा नम्बर 961 व 962 बनाये गये तथा नया राजस्व नक्शा भी तैयार किया गया। जबकि पुराने खसरा नम्बर 702 एवं 702मिन का एक ही राजस्व नक्शा था एवं नक्शे में उक्त दोनो नम्बरों की कोई तरमीम नहीं थी। जब दौराने सैटलमेंन्ट नया राजस्व नक्शा बनाया गया तो नये खसरा नम्बर 961 व 962 की पृथक—पृथक तरमीम खिलाफ मौका एवं कानून कर दी। प्रार्थीगण का कब्जा आज भी खसरा नम्बर 961 में है एवं प्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर में मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थीगण निवास कर रहे है। जब दौराने सैटलमेंन्ट हुयी अशुद्धि की जानकारी प्रार्थीगण को हुयी तो उनके द्वारा उक्त की शुद्धि बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा शुद्धि करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थीगण के द्वारा उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर नये राजस्व नक्शे में दौराने सैटमेंन्ट खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून हुयी अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

जॉच पटवारी हल्का बाके ग्राम सहना के आराजी खसरा नम्बर 961/0.28है0, 962/0.29है0 के साविक खसरा नम्बर 702 में से बने है। मुताबिक मौके के खसरा नम्बर 961/0.28है0 में दर्ज खातेदार खसरा नम्बर 962/0.29है0 पर काबिज है जबकि खसरा नम्बर 962/0.29है0 में दर्ज खातेदार खसरा नम्बर 961/0.28है0 पर काबिज है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 702(पुराना) की तरमीम कर बनाये गये नये खसरा नम्बर 961 व 962 की स्थिति नक्शा व मौके को परस्पर विपरीत कर दिया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि विवादित आराजी राजस्व ग्राम सहना में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पुराने खसरा नम्बर 702 से बनाये गयी है। खसरा नम्बर 702 से बनाये गये खसरा नम्बर 961 व 962 की तरमीम नये राजस्व नक्शे में मौका एवं कब्जे के विपरीत खातेदारान की सहमति के बिना ही कर दी गई है। जबकि मौके पर खसरा नम्बर 961 के स्थान पर खसरा नम्बर 962 में दर्ज खातेदार काबिज आराजी है जबकि खसरा नम्बर 962 के स्थान पर खसरा नम्बर 961 में दर्ज खातेदार काबिज है। मुताबिक मौके के नये राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर नक्शा दुरस्त किये जाने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 961 के स्थान पर खसरा नम्बर 962 की तरमीम राजस्व नक्शे में करबाये जाने की दादरसी चाही है परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 961 में दर्ज खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 961 में दर्ज खातेदार उक्त उनवानी मुकदमा में आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकारान के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 25/2023 धर्मेन्द्र वगै० बनाम राज. सरकार	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में जारी
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12/8/25 को पेश हो। [signature]	
12/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/8/25 को पेश हो। [signature]	
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पत्रावली में अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 26/8/25 को पेश हो। [signature]	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो। [signature]	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो अभिलेख दाखिल हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	